न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 139/2022 बउनवानी संतोष कुमार अग्रवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं उपपंजीयक वजीरपुर निवासी मु0पो0 वजीरपुर

GCMS No-2022/228

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
6.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 01.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु तहसीलदार एवं उप पंजीयक वजीरपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. तहसील कार्यालय वजीरपुर मे ग्राम पंचायत वजीरपुर द्वारा जारी आवासीय पटटे दिनांक 1.8.2020 से 30.9.2022 तक उप पंजीयक कार्यालय द्वारा कितने आवासीय पटटे रजिस्टर्ड किये गये है। रजिस्टर्ड पटटों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक वजीरपुर के जवाब नोटिस कमांक पंजीयन/आरटीआई/2022/205–06 दिनांक 02.12.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा दस्तावेज संख्या, रजिस्ट्रेशन दिनांक अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.10.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही किया गया था तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की तय समय सीमा में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए था किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा लगभग 2 माह बाद अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा रहा है जो अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिशः ध्यान देकर प्राथमिक[illegible] साथ ही अपीलान्ट को भी निर्देशित किया जाता है जिन दस्तावेजो की नकल च[illegible]का पूर्ण विवरण अंकित करते हुए पंजीयन अधिनियम के तहत निर्धारित [illegible] प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। [illegible] फैसल शुमार हो[illegible]बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अ[illegible] खुले न्यायालय मे [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर